

प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायालय, मैनपुरी

विज्ञप्ति

(संख्या-1/पुनर्नियुक्ति (सेवानिवृत्त)/2026 दिनांकित 01.04.2026)

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 14/एडमिन.'डी' सेक्शन दिनांक 15.10.2022 के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 31.03.2026 के अनुक्रम में जनपद न्यायालय, मैनपुरी से सेवा निवृत्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगणों को जनपद न्यायालय, मैनपुरी में अद्योलिखित रिक्त पदों पर पुनर्नियुक्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्रम सं०	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1	तृतीय श्रेणी संवर्ग प्रधान सहायक	10
2	तृतीय श्रेणी संवर्ग वरिष्ठ सहायक	55
3	आशुलिपिक ग्रेड-2	08
4	चतुर्थ श्रेणी	18

उपरोक्त पदों पर पुनर्नियुक्ति निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन होगी:-

1. सेवा निवृत्त न्यायिक कर्मचारी द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की गयी हो।
2. पुनर्नियुक्ति, नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष के लिये (यदि पूर्व में ही समाप्त न कर दी जाये) अथवा रिक्त पदों के पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने तक अथवा सम्बन्धित पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु 65 वर्ष होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिये होगी।
3. सेवा निवृत्त कर्मचारी को पुनर्नियुक्ति पर उसके द्वारा अन्तिम आहरित मूल वेतन में से मूल पेंशन की धनराशि को घटाते हुये कुल मेहनताना/मानदेय देय होगा।
4. सेवा निवृत्त कर्मचारी को पुनर्नियुक्ति उसकी पूर्व सेवा तथा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के आधार पर प्रदान की जावेगी।
5. उपरोक्तानुसार पुनर्नियुक्त कर्मचारी को कलेण्डर वर्ष में एक माह की सेवा पर एक आकस्मिक अवकाश देय होगा।
6. निरन्तर 07 दिनों तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित होने पर सम्बन्धित कर्मचारी की सेवायें बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जायेगी।
7. उपरोक्तानुसार पुनर्नियुक्त कर्मचारी को न्यायालय के शिष्टाचार का पूर्ण रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
8. उपरोक्त नियुक्तियाँ पूर्ण रूप से अस्थायी होंगी।

सामान्य दिशा-निर्देश:-

1. आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप अथवा पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 15.04.2026 तक प्रशासनिक कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, मैनपुरी को प्रेषित किये जा सकते हैं।
2. आवेदन पत्र में सम्बन्धित सेवा निवृत्त कर्मचारी द्वारा अपने विवरण के साथ पत्राचार का पता तथा मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।
3. विज्ञप्ति समस्त अवकाश प्राप्त कर्मचारीगणों में परिचालित की जावे। सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा तथा न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाये।
4. विज्ञप्ति की एक प्रति जिला सूचना अधिकारी, मैनपुरी को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित हो।


(गरिमा सिंह)

सदस्य, पुनर्नियुक्ति समिति/
सिविल जज(प्रवर वर्ग)
मैनपुरी



(विष्णु कुमार मिश्रा)
सदस्य पुनर्नियुक्ति समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं-6, मैनपुरी



(अच्छे लाल सरोज)
अध्यक्ष, पुनर्नियुक्ति समिति/
अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं-1, मैनपुरी



(नितिन सक्सेना)
सदस्य, पुनर्नियुक्ति समिति/
कोर्ट मैनेजर, जनपद
न्यायालय, मैनपुरी।

आदेश

अनुमोदित। विज्ञप्ति तदनुसार परिचालित हो।


जनपद न्यायाधीश
मैनपुरी